बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–10/2023(स्वा0) ..... / पटना, दिनांकः–.....

अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी के पत्रांक–6862 दिनांक–03.12.2022 द्वारा डा0 प्रदीप कुमार अग्रवाल, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गयाजी के विरूद्ध बिना निविदा प्रकाशित किये पूर्व से चयनित दर से दुगुने दर पर M/s Jaya Prakash Hedge K Security agency को सुरक्षा प्रहरी प्रदात्ता के रूप में चयन हेतु 90 सुरक्षा प्रहरी के आपूर्ति हेतु एकरारनामा करने तथा बिना निविदा प्रकाशित किये मेसर्स Terminix SIS Pvt Ltd. को पेस्ट कॉन्ट्रोल का कार्य लेने एवं 3,65,464/–रू० का भुगतान करने के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1013(9) दिनांक–08.10.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–327/अ०नि०को० दिनांक–31.12.2024 द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डा0 अग्रवाल के विरूद्ध दुगुने दर पर सुरक्षा प्रहरी एजेंसी का चयन करने एवं बिना निविदा प्रकाशित किए एजेंसी का चयन कर कुल 3,65,464/– का अनियमित भुगतान करने के आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। विभागीय पत्रांक–189(9) दिनांक–04.03.2025 द्वारा डा0 अग्रवाल से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) की मॉग की गयी।

3. डा0 अग्रवाल द्वारा दिनांक–27.03.2025 को अपना प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि SIS सुरक्षा प्रदाता के कार्यकाल के दौरान संस्थान में ऑक्सीजन के पाइपो की चोरी हो रही थी। प्रदाता के पर्यवेक्षक द्वारा कार्य को सजगतापूर्वक करने का निदेश दिया जाता था, परन्तु उनकी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं हुई। संस्थान में सभी विभागो के विभागाध्यक्ष क्रय समिति के सदस्य होते है। क्रय समिति के दिनांक–30.04.2021 को बैठक में सदस्यो की सर्वसहमति से मेसर्स हगडे सिक्यूरिटि एजेन्सी को कार्य करने का आदेश दिया गया। सरकार द्वारा Ex Service man guards और civil guard को निर्धारित मानदेय के अनुसार भुगतान किया गया। डा0 अग्रवाल के पूर्ववर्ती अधीक्षक द्वारा अस्पताल में 49,500/– प्रति माह के दर से पेस्ट कण्ट्रोल करने का आदेश निर्गत किया गया था, जिसे आपूर्तिकर्त्ता से बार्ता कर 32,500/– प्रति माह के दर से करवाया गया।

4. विभागीय पत्रांक–692(9) दिनांक–23.06.2025 द्वारा अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया से सुरक्षा प्रहरी प्रदाता एवं पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को अनियमित चयन एवं भुगतान करने के बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल, गयाजी के पत्रांक–1103 दिनांक–20.02.2026 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात् डा0 अग्रवाल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर एवं अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत डॉ0 प्रदीप कुमार अग्रवाल, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गयाजी के विरूद्ध सुरक्षा प्रहरी प्रदाता एजेंसी को उच्चदर पर चयन कर भुगतान करने एवं पेस्ट कन्ट्रॉल के कार्य हेतु अनियमित भुगतान करने के प्रमाणित आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन पेंशन स्वीकृति की तिथि से 10% (दस) प्रतिशत पेंशन की राशि 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

04/11/2026

15

5. विभागीय पत्रांक–763(9) दिनांक–14.07.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1831 दिनांक–20.08.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

6. अतएव डा0 प्रदीप कुमार अग्रवाल, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गयाजी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पदीय दायित्व के निर्वहन में वितीय अनियमितता बरतने के प्रमाणित आरोप के लिए 10% (दस) प्रतिशत पेंशन की राशि पेंशन स्वीकृति की तिथि से 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–10/2023(स्वा0) 1655(90) / **पटना, दिनांकः–** 04.11.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गयाजी/सिविल सर्जन, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

04/11/2026
सरकार के अवर सचिव।